सीसीटीएनएस / ई–मेल

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

पत्रॉक: टीएस–सीसीटीएनएस–69 / 2012(V) दिनांक: फरवरी 16 ,2016

सेवा में,

श्री सुमित गुप्ता,
प्रोजेक्ट मैनेजर,
एनआईआईटी।

विषयः– सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत किये जा रहे डाटा डिजिटाईजेशन एवं डाटा पुष्टिकरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त सम्बन्ध में इस मुख्यालय से समय–समय पर निर्गत आदेश / निर्देशों में ऐसे तथ्य जो निम्न प्रकिया को लागू करने पर प्रभावित होंगे उनको इस सीमा तक अतिकमित किया जाता है। डाटा डिजिटाईजेशन एवं डाटा पुष्टिकरण के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त कार्य को समय से पूर्ण करायें।

डाटा डिजिटाईजेशन :–

- निर्धारित समय अवधि के भा0द0वि0 / अन्य अधिनियम से सम्बन्धित अपराधों का डाटा ही डिजिटाइज्ड किया जाए।
- सीआरपीसी से सम्बन्धित डाटा डिजिटाईजेशन की वर्तमान समय में अत्यधिक उपयोगिता नहीं है और उसका Volume भी अधिक है। इसलिए CrPC के अन्तर्गत दर्ज मुकद्मों को डिजिटाइज्ड न किया जाए।
- डाटा डिजिटाईजेशन के सम्बन्ध में यह प्रकिया तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

डाटा पुष्टिकरण :–

- एस0आर0 केस से सम्बन्धित अपराधों के सम्पूर्ण डाटा अर्थात 100 प्रतिशत पुष्टिकरण किया / कराया जाए।
- एस0आर0 केस के अतिरिक्त जिन अपराधों में भा0द0वि0 / अन्य अधिनियम की धारायें लगाई गई हों, उसके प्रत्येक बैच का 5 प्रतिशत डाटा Random रूप से परीक्षण / पुष्टिकरण किया / कराया जाए।
- यह प्रकिया पुष्टिकरण हेतु समस्त डाटा पर लागू होगी। तद्नुसार पुष्टिकरण के उपरान्त साइन आफ की मूल प्रति पुलिस अधिकारी / कम्प्यूटर आपरेटर के हस्ताक्षर मय नाम व नियुक्ति सहित इस मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

16/2/16

(आर0के0विश्वकर्मा)
अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें,उ0प्र0,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
4. पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
6. श्री राजीव वशिष्ठ, प्रोजेक्ट मैनेजर, एसपीएमयू को अनुपालनार्थ।
7. प्रभारी सीसीटीएनएस को साइट पर अपलोड कराने हेतु।